निर्णय ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 66/2021 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

विजय कुमार पुत्र कल्याण जाति मीणा निवासी ग्राम अमरसर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री मनमोहन मीणा आर ए एस पीठासीन अधिकारी सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) शाहपुरा, जिला जयपुर ।
2. हजारी लाल पुत्र स्व॰ श्री भरताराम
3. केदार मल पुत्र स्व॰ भरता राम

   जाति मीणा निवासी ग्राम अमरसर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण (वादीगण)

4. प्रभाती लाल पुत्र बींजाराम (मृतक दौराने दावा)

   4/1. श्रीमती नानगी बेवा प्रभाती लाल

   4/2. ओम प्रकाश पुत्र स्व॰ श्री प्रभाती लाल

   4/3. कालूराम पुत्र स्व॰ श्री प्रभाती लाल

   4/4. पूरण मल पुत्र स्व॰ श्री प्रभाती लाल

   4/5. फूलचन्द पुत्र स्व॰ श्री प्रभाती लाल

   4/6. मुकेश पुत्र स्व॰ श्री प्रभाती लाल

   4/7. सन्जू उर्फ संजय पुत्र स्व॰ श्री प्रभाती लाल

   समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम अमरसर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर ।

5. रतन लाल पुत्र कल्याण
6. राजेश कुमार पुत्र कल्याण

   समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम अमरसर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर ।

7. श्रीमती उर्मिला पुत्री कल्याण पत्नी हनुमान सहाय जाति मीणा, निवासी सीमाला जागीर, श्रीमाधोपुर जिला सीकर । हाल निवासी प्लाट नम्बर 12, लक्ष्मीनगर प्रथम, मिलन सिनेमा के पीछे, रोड नम्बर 14, सीकर रोड, बाईपास रोड, हाईवे नम्बर–8, जयपुर
8. श्रीमती प्रभाती बेवा कल्याण जाति मीणा, निवासी ग्राम अमरसर, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
9. दीपक पुत्र श्री किशन
10. लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री किशन

    समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम अमरसर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर ।

11. श्रीमती सुनीता पुत्र श्री किशन पत्नी सत्येन्द्र उर्फ बनवारी जाति मीणा निवासी 2–ए, 07 शिव शक्ति कालोनी, शास्त्री नगर, जयपुर।
12. श्रीमती अनीता पुत्री श्री किशन पत्नी श्री राजाराम जाति मीणा निवासी प्लाट नं॰ 51, मीणा कालोनी, गंगापोल गेट के बाहर, बास बदनपुरा, जयपुर, राजस्थान ।
13. श्रीमती बिमला बेवा श्री किशन जाति मीणा निवासी ग्राम अरसर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, हाल निवासी प्लाट नम्बर 17, सर्वोदय कालोनी, नीयर कल्याण नगर, टोंक फाटक, जयपुर।
14. सुनील पुत्र रतन लाल

जिला कलक्टर
जयपुर

15. अनिल पुत्र रतन लाल

जाति यान मीणा निवासी ग्राम पठानों का बास, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर हाल निवासी 11/29, जी एस आई कालोनी, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान

16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, शाहपुरा, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण (प्रति वादीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 आर टी एक्ट 1955 बावत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) शाहपुरा के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 22/2016 (32/2014, 12/2010) मय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 49/2016 (30/2014, 10/2010 ब उनवानी हजारी लाल व अन्य बनाम प्रभाती लाल (मृतक दौराने दावा) के कायम मुकाम श्रीमती नानगी व अन्य को अग्रिम सुनवाई एवं निस्तारण हेतु अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री श्रवण सिंह अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री राजेन्द्र चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 14.03.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) शाहपुरा के समक्ष प्रकरण संख्या 22/2016 (32/2014, 12/2010) मय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 49/2016 (30/2014, 10/2010 ब उनवानी हजारी लाल व अन्य बनाम प्रभाती लाल (मृतक दौराने दावा) के कायम मुकाम श्रीमती नानगी व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) शाहपुरा से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र चौधरी ने उपस्थित हो कर वकालतनामा पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा से पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर को प्राप्त होने पर दिनांक 17.03.2016 को दर्ज रजिस्टर की गई, परन्तु नये मुकदमा नम्बर आवंटित नही किये गये। दिनांक 20.04.2018 को नये वाद सख्या 55/2016 आवंटित किये गये। दिनांक 28.05.2016 को पत्रावली न्याय आपके द्वार कैम्प अमरसर में नियत की गई, परन्तु आदेशिका में समझौता नहीं होने के कारण कार्यवाही नहीं होना अंकित किया गया। जबकि पक्षकारान को पत्रावली राजस्व लोक अदालत में नियत करने की कोई सूचना

जिला कलक्टर
जयपुर

व नोटिस नहीं दिये गये। पक्षकार उपस्थित ही नहीं थे तो समझौता नहीं होने का कारण अंकित करना भी आश्चर्यचकित करने वाला है। दिनांक 15.05.2017 को पुनः पत्रावली को राजस्व लोक अदालत मे नियत करने से पूर्व कोई सूचना व नोटिस नहीं दिया गया। तदुपरान्त दिनांक 08.05.2018 को पुनः पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प अमरसर में नियत कर दी गई जबकि पत्रावली को राजस्व लोक अदालत में नियत करने की कोई सूचना व नोटिस नहीं दिया गया । जबकि उक्त वाद कन्टेस्टेड है। विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 की धारा 19 में लोक अदालत का गठन व उनकी कार्य प्रणाली बताई गई है एवं धारा 20 में लोक अदालत में चिहिन्त एवं नियत किये जाने वाले मामलों की केटेगरी के बारे में बताया गया है। धारा 20 (1) में स्थापित विधि के तहत लोक अदालत में उन्हीं मामलों को चिन्हित एवं नियत किया जा सकता है जिनमें सभी पक्षकारान ने सहमति दे दी हो और पक्षकारों ने संयुक्त रूप से लोग अदालत में मामले का निपटारा कराने के लिए आवेदन पेश कर दिया हो, परन्तु मौजूदा वाद में किसी भी पक्षकार ने अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष पत्रावली को लोक अदालत में नियत करने की सहमति बाबत कोई आवेदन नहीं किया और ना ही पक्षकारों ने सहमति जताई । न्यायिक दृष्टान्त आर बी जे (25) 2018 पेज 678 से 680 में माननीय राजस्व मण्डल की खण्डपीठ द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि Contested Suit में लोक अदालत में निर्णय नहीं कर सकते है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष पत्रावली दिनांक 29.12.2014 से संशोधित कॉज टाईटल पेश करने हेतु नियत होती रही, परन्तु वादीगण को अनेको अवसर प्रदान करने के बावजूद भी संशोधित कॉज टाईटल पेश नहीं किया गया और दिनांक 24.09.2015 को लगभग 9 माह पश्चात संशोधित कॉज टाईटल पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली दिनांक 29.12.2014 से प्रतिवादी संख्या 1/1 व 17 की तलबी हेतु नियत होती रही, परन्तु वादीगण द्वारा अनेकों अवसर देने के बावजूद भी तलबाना पेश नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली दिनांक 21.01.2019 से कायमी कनकीयात में नियत होती रही, परन्तु पत्रावली में अनेकों पेशियां नियत होने के बावजूद भी तनकीयात कायम नहीं की गई । दिनांक 04.02.2021 की आदेशिका के अनुसार आगामी पेशी दिनांक 11.02.2021 वास्ते प्राथमिक डिकी व तनकी के बिन्दू पर रूलिंग पेश करने व बहस हेतु नियत कर दी गई । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनियिमित रूप से आदेशिकाएँ संधारित की जा रही है और विधिक प्रकिया का विधिवित रूप से पालन नहीं किया जा रहा है। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) शाहपुरा द्वारा पत्रावली में पेशी दिनांक 28.05.2016 से 17.05.2021 तक की अवधि में कुल 38 पेशियां रबर मोहर से संधारित की गई है जबकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समस्त राजस्व अदालतों को यह स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं कि आदेशिकाएं रबर मोहर से संधरित नहीं करे। बल्कि हस्तलिखित या टाईपशुदा आदेशिकाएं संधारित करें। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) शाहपुरा द्वारा इसके बावजूद भी रबर मोहर से 38 आदेशिकाएं संधारित कर दी गई । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 11.0.2021 में अंकित किया गया कि वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सी.पी.सी. में वकील प्रतिवादी प्रार्थना पत्र का जबाव पेश करने का अवसर चाहते है उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सी.पी.सी. कब पेश हुआ इसकी कोई आदेशिका संधारित नहीं की गई। वेग आदेशिकाएं संधारित की जा रही है । इस प्रकार प्रमाणित है कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 1 अपनी मनमर्जी से आदेशिकाएं संधारित कर रहे है और विधिक प्रकिया

जिला कलक्टर
जयपुर

को ताक में रख कर कार्यवाही कर रहे है। उक्त वाद की आदेशिकाओं के अवलोकन करने से स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर के समक्ष पत्रावली त्वरित न्याय की दिशा में अग्रसर होकर विचाराधीन रही ओर उसके पश्चात दिनांक 17.03.2016 को जब पत्रावली स्थानान्तरित हो कर सहायक कलक्टर शाहपुरा के समक्ष लम्बित हुई तब से पत्रावली का विधिवत विधिक प्रकिया व त्वरित न्याय की दिशा से भटका दी गई और पत्रावली को दिशाहीन दिशा में लेकर त्वरित न्याय के सिद्धान्तों पर गम्भीर कुठाराघात किया गया और साथ ही विधिक प्रकिया का गम्भीर रूप से दुरूपयोग किया गया तथा विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 की धारा 19 व 20 में प्रतिस्थापित प्रावधानों एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित उक्त सिद्धान्तों का जानबूझ कर उल्लंघन करते हुए विधि एवं न्यायिक कार्यवाही की धज्जियां उडा दी गई है। दिनांक 01.02.2021 को अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 (वादीगण) ने प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 3 के कई परिचित व्यक्तियों को कहा कि न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर के पीठासीन अधिकारी को हमने विधायक साहब से फोन करवा रखा है और विधायक साहब के माध्यम से हमारी पीठासीन अधिकारी से बातचीत होती रहती है तथा पीठासीन अधिकारी ने हमें पूर्ण भरोसा व विश्वास दिलाया है कि वह वादी का दावा व स्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज कर देंगे। उक्त बाबत सुन कर प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 3 आश्चर्यचकित हो गया । प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 3 उक्त वाद में नियत पेशी दिनांक 19.02.2021 को न्यायालय में अपने प्रकरण की पैरवी करने गया और दोपहर लगभग 1.30 बजे प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को अप्रार्थी संख्या 1 पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में जाते हुए देखा और वहां पर पीठासीन अधिकारी के साथ बैठ कर चाय नाश्ता करते हुए भी देखा और कुछ समय पश्चात पीठासीन अधकारी ने चपरासी को बुला कर उक्त प्रकरण की पत्रावली को चैम्बर में मंगवाई और उसके बाद अप्रार्थी संख्या 2 व 3 हंसते हुये चैम्बर से बाहर निकले तो प्रार्थी को निश्चित रूप से विश्वास हो गया कि अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 द्वारा प्रार्थी के परिचितों को कही गई बात सत्य है और प्रार्थी को अब अप्रार्थी संख्या 1 पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने की उम्मीद नहीं है और यही कारण है कि अप्रार्थी संख्या 1 पीठासीन अधिकारी विधिक प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्यवाही नहीं कर रहे है और अपनी मनमर्जी पूर्ण कार्यवाही करते आ रहे है। उक्त परिस्थितियों में उक्त प्रकरण को अप्रार्थी संख्या 1 पीठासीन अधिकारी के न्यायालय से अन्य सक्षम न्यायालय में अग्रिम सुनवाई व निस्तारण हेतु मुन्तकिल किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 के सुयोग्य अधिवक्ता ने उक्त तर्कों का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी ने धारा 10 सी.पी.सी. का आदेशिका में इन्दाज नहीं करने का आरोप लगाया है । जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आदेशिका दिनांक 11.02.2021 में धारा 10 सी.पी.सी. का इन्दाज है। प्रार्थी उक्त प्रकरण के निस्तारण में डिले करना चाहता है। इस कारण अप्रार्थी बहस नहीं करना चाहता है और प्रकरण को अनावश्यक लम्बित रखना चाहता है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला कलक्टर
जयपुर

7. प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 8 में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सी.पी.सी. का कब पेश हुआ इसकी कोई आदेशिका संधारित नहीं किये जाने का आक्षेप लगाया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी के अनुसार आदेशिका दिनांक 11.02.2021 में इसका अंकन किया हुआ है। इसलिए प्रार्थी के कथन की पुष्टि नहीं होती है। प्रार्थी ने कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61, जगना शंकर बनाम कालूराम 1982 III. में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है।

8. उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) शाहपुरा से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौरानें सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

9. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) शाहपुरा को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

10. निर्णय आज दिनांक **14.03.2022** को सरे इजलास सुनाया गया ।

14/03/22

(राजेन्द्र विशाल)
जिला कलक्टर
जयपुर